

**परिणामी बजट वर्ष 2007-08**

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
<b>विभाग- समाज कल्याण विभाग</b>					
<b>विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण</b>					
1	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस को रूपये 10000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना ।	122000	रु. 10000 एकमुश्त आर्थिक सहायता ।	
2	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 300 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय ।	610000	✓ 65 वर्ष से अधिक आयु के 2 लाख वृद्ध हितग्राहियों को रु. 300 प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान । ✓ 65 वर्ष से कम आयु के 245500 हितग्राहियों को रु. 200 प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान ।	
3	विकलांगों तथा अंपंगों की सहायता के लिए योजना -	(अ) छात्रवृत्तियां - निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।  (ब) निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था ।  (स) निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रु. 21000 प्रोत्साहन राशि दिया जाना ।	10600 3900 2100	5733 विकलांग छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदाय करना । (प्राथमिक स्तर रु. 50, माध्यमिक स्तर रु. 60, उच्च स्तर माध्य. स्तर रु.70, स्नातक स्तर रु. 125, स्नातकोत्तर स्तर रु. 170 प्रति छात्र प्रतिमाह)  ✓ 10 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाना। ✓ भवन कियाया का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रु. 2000 ✓ अंतःवासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रु. 600  प्रतिवर्ष 100 निःशक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय ।	

**परिणामी बजट वर्ष 2007-08**

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
<b>विभाग- समाज कल्याण विभाग</b>					
<b>विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण</b>					
4	विश्व विकलांग वर्ष	विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों / संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान ।	600	✓ सर्वोत्तम निःशक्त व्यक्ति रूपये 500/- ✓ सर्वोत्तम नियोक्ता (निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) ✓ सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- ✓ सर्वोत्तम जिला-शिल्ड	
5	छ.ग.किशोर न्याय अधि. के अंतर्गत किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत बच्चों को सहायता उपलब्ध कराना ।		1700	✓ 50 अंतःवासियों को लाभान्वित करना । ✓ 09 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना । ✓ 09 बाल कल्याण समिति की स्थापना ।	
6	किशोर कल्याण निधि का गठन	किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत गठित किशोर कल्याण निधि से किशोरों के कल्याण, शिक्षण प्रशिक्षण, और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	1000	100 किशोरों को पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता देना ।	
7	किशोर सम्प्रेक्षणगृह विशेष गृह एवं किशोर गृह का उन्नयन	किशोर न्याय अधि. 2000 के अंतर्गत संचालित सम्प्रेक्षण गृहों में सामग्री पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता ।	800	300 किशोरों को लाभान्वित किया जाना ।	
8	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना।	19536	✓ 1390 कृत्रिम अंग उपकरण व्हील चेर, ट्रायसिक्ल का वितरण । ✓ 4103 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (निःशक्त) । ✓ 875 छात्रवृत्ति (निःशक्त) । ✓ स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना ।	

**विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण**

**परिणामी बजट वर्ष 2007-08**

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
<b>विभाग- समाज कल्याण विभाग</b>					
<b>विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण</b>					
9	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण किशोर न्याय अधि.2000 के तहत संस्थाओं को सहायता अनुदान	छ.ग.बा.फ.प.को संस्थाओं के संचालन हेतु प्रमाणन किया गया है जिसके माध्यम से विधि अवरुद्ध एवं देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	2500	प्रदेश के 250 विधि अवरुद्ध बच्चों को लाभान्वित करना ।	
10	विकलांगों अपर्गों की सहायता के लिए योजना (कृत्रिम अंग उपकरण)	योजना अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना ।	4000	2000 निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना ।	
11	अंध, मूकबधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान ।	5000	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 12 स्वैच्छिक संस्थाओं को अंतःवासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु अनुदान ।</li> <li>✓ रु. 6000 प्रति संस्था प्रति माह की दर से ।</li> <li>✓ भवन किराया का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतक रु. 2000</li> </ul>	
12	अंधे, बहरे,गुंगों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा में स्थापित विशेष विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना ।	2575	50 बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था ।	
13	कि.न्या.अधि.1986 का कियान्वयन बालिका किशोर गृह की स्थापना	किशोर सम्प्रेक्षण गृह के लिए आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने हेतु भवन निर्माण/अति.निर्माण कार्य ।	5418	04 जिलों (राजनांदगांव, दुर्गा, सरगुजा, बस्तर) में बालिका संप्रेक्षण ग्रह का निर्माण ।	

**परिणामी बजट वर्ष 2007-08**

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
<b>विभाग- समाज कल्याण विभाग</b>					
<b>विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण</b>					
14	अंधे बहरे तथा गूँगों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	श्रवण बाधित बालिकाओं के लिए धमतरी में स्थापित विशेष विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाने में सहायता।	2196	50 बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था।	
15	अशासकीय संस्थाओं को अन्य अनुदान प्रदाय किये जाते हैं।	निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण	2500	1256 निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना।	
16	अंधे, मूँक और बधिरों के लिए शालाएं (भवन निर्माण)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्था के बाधा रहित भवन निर्माण।	5000	बाल गृह रायपुर में बाधारहित भवन का निर्माण।	

**विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण**